कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 292/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 15.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना- महराजगंज: दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 18.07.2025 को वादिनी थाना महराजगंज जिला आजमगढ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि आवेदक की पुत्री उम्र 17 वर्ष को विपक्षी अमन पुत्र अज्ञात निवासी खानपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमढ के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 202/25 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम 1 अमन पुत्र अज्ञात निवासी खानपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमढ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 रजत सिंह द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी बयान 180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस व मेडिकल परीक्षण व शैक्षिक प्रपत्रों के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(2) बीएनएस का लोप किया गया तथा धारा 70(1)/351(3) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र रामप्यारे निवासी खानपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ 2. अमन राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर निवासी करमहाडिगुरपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ 3. विनोद यादव पुत्र विक्रम यादव निवासी सिपार पट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश मे आया जिनके विरुद्धध अन्तर्गत धारा 87/70(1)/351(3) बीएनएस में विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 15.08.2025 को प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में उ0नि0 रजत सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त वाछिंत अभियुक्त 1. अमन पुत्र रामप्यारे निवासी खानपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ 2. . विनोद यादव पुत्र विक्रम यादव निवासी सिपार पट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ को देवनपुर पेट्रोल पम्प के पास से दिनांक 15.08.2025 को समय 13.10 बजे दिन हिरासत पुलिस में नियमानुसार लेकर जामा तलाशी लिया गया तो कोई भी नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अमन पुत्र रामप्यारे निवासी खानपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ उम्र 18 वर्ष
2. विनोद यादव पुत्र विक्रम यादव निवासी सिपार पट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ उम्र 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 202/25 धारा 87/70(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1-प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में
2.उ0नि0 रजत सिंह मय हमराह थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

02.थाना पवई: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 15.08.25 को वादी उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह का0 सुरेन्द्र यादव, का0 बृजेश कुमार, का0 अमित पाल के द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम मुतकल्लीपुर पंचायत भवन के पास से एक व्यक्ति शंशाक श्रीवास्तव पुत्र अनिल श्रीवास्तव निवासी मुतकल्लीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को मुतकल्लीपुर पंचायत भवन के पास से समय 10.55 बजे 01 अदद नाजायज कट्टा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 231/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:

1- मु0अ0सं0 231/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त —

1-शंशाक श्रीवास्तव पुत्र अनिल श्रीवास्तव निवासी मुतकल्लीपुर थाना पवई, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह थाना पवई जनपद आजमगढ

03.थाना बिलरियागंज: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.07.25 को वादिनी उम्र लगभग 22 वर्ष द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि विपक्षी समशुलवरा पुत्र रियाजुद्दीन साकिन-करीमुद्दीनपुर (जामा मस्जिद के उत्तर थाना-घोसी जनपद-मऊ द्वारा शादी का झांसा देकर विगत वर्ष से पहले से शारिरीक सम्बन्ध बनाया गया, तथा कई किस्तों में 60-70 हजार रूपयें ले लिया गया है। शादी की बात करने गये वादिनी के पिता को गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 233/2025 धारा 69/352/131 BNS पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 15.08.2025 को उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त समशुलवरा पुत्र रियाजुद्दीन सा0 करीमुद्दीनपुर थाना घोसी जनपद मऊ को समय करीब 11.50 बजे वहद ग्राम कासिमगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 233/2025 धारा 69/352/131 BNS थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. समशुलवरा पुत्र रियाजुद्दीन सा0 करीमुद्दीनपुर थाना घोसी जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1- सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़
2- उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3- का0 दीपू कुमार शर्मा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
4- का0 संजय कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

04. थाना पवई: अवैध असलहा व कारतूस के साथ थाने का टापटेन अपराधी गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 15.08.25 को वादी उ0नि0 ओम प्रकाश मिश्रा मय हमराह हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह , हे0का0 धर्मेन्द्र यादव , का0 अनुराग यादव के साथ देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त हासिम उर्फ हिटलर पुत्र रशीद निवासी महुआ थाना पवई जनपद आजमगढ़ को ग्राम महुआ मोड़ बिस्कुट फैक्ट्री से समय 12.12 बजे एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद मिस कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 230/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम हासिम उर्फ हिटलर पुत्र रशीद निवासी महुआ थाना पवई जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:

1- मु0अ0सं0 230/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 122/14 धारा 307/504 भादवि थाना पवई आजमगढ़
मु0अ0सं0 180/15 धारा 384/307/504/506 भादवि थाना पवई आजमगढ़
मु0अ0सं0 175/02 धारा 379/411 भादवि थाना पवई आजमगढ़
मु0अ0सं0 114/13 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना पवई आजमगढ़
मु0अ0सं0 निल/13 धारा 41/411 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़
मु0अ0सं0 349/03 धारा 380/506 भादवि थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- हासिम उर्फ हिटलर पुत्र रशीद निवासी महुआ थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 ओम प्रकाश मिश्रा मय हमराह थाना पवई जनपद आजमगढ़

05.थाना मुबारकपुर: चोरी की घटना का अनावरण करते हुए चोरी का माल एंव तमंचा कारतूस बरामद के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 13.08.2025 को वादी मुकदमा जयचन्द पुत्र लालू निवासी ग्राम खुझिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 11/12.08.2025 की रात्रि मे वादी मुकदमा की वाहन पीकप घर के सामने खड़ी थी कि रात्रि मे ही किसी अज्ञात चोर द्वारा पीकप वाहन की बैट्री चोरी कर ली गयी जिसके सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 359/2025 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव चौकी प्रभारी लोहरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मे अभियोग का अनावरण करते हुए अभियुक्त सद्दाम पुत्र समसुद्दीन खान निवासी ग्राम पठान टोली, रामलीला मैदान थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष का नाम प्रकाश मे आया एवं चोरी की माल की बरामदगी की गयी।

2. दिनांक 02.05.2025 को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ पर वादी मुकदमा श्री राजन गौड़ पुत्र स्व0 घनश्याम गौड़ निवासी ग्राम कुन्डीगढ़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक वादी मुकदमा का परिवार रिश्तेदारी मे गये हुए थे कि घर से अज्ञात चोर द्वारा मंगलसूत्र, दो पायल, पावजेब, पांगटीका, नथूनी, झूमका झाला, दो अंगूठी और 48,000/- नकदी रूपया चोरी हो जाने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली जनपद आजमगढ पर मु0अ0सं0 207/2025 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत है जिसकी विवेचना उ0नि0 राज नरायन पाण्डेय द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 14.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन मे उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान शाहगढ़ से मुबारकपुर की तरफ जाने वाले मार्ग पर ग्राम जमुड़ी से एक नफर अभियुक्त सद्दाम पुत्र समसुद्दीन खान निवासी ग्राम पठान टोली, रामलीला मैदान थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष को पकड़ लिया गया जिसके कब्जे से एक्साइड कम्पनी की बैटरी, दो जोड़ी पायल सफेद धातु व एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर की बरामदगी की गयी। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 22.43 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-सद्दाम पुत्र समसुद्दीन खान निवासी ग्राम पठान टोली, रामलीला मैदान थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 418/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिधारी जपनद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 82/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ
3. मु0अ0सं0 114/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ
4. 355/2024 धारा 303(2), 317(2) BNS थाना सिधारी जनपद आजमगढ
5. 18/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
6. 17/2025 धारा 303(2), 317(2) BNS थाना सिधारी जनपद आजमगढ
7. मु0अ0सं0 359/2025 धारा 303(2), 317(2) BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
8. मु0अ0सं0 363/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरण:-

1- चोरी की बैटरी, दो अदद पायल सफेद धातु, एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1-उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह का0 सतेन्द्र यादव, का0 नीरज यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

06.थाना- फूलपुर: अवैध असलहा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनाक 14-08-2025 को उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सदरपुर बरौली गेट से दुर्वाषा रोड पर लगभग 50 मीटर से समय करीब 14-19 बजे एक अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर के साथ अभियुक्त विपिन राय उर्फ बब्बू राय पुत्र ईश्वरचन्द्र राय साकिन भँवरूपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ हाल पता कस्बा फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 396/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- विपिन राय उर्फ बब्बू राय पुत्र ईश्वरचन्द्र राय साकिन भँवरूपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ हाल पता कस्बा फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 396/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	503/2023	323/342/386 भादवि व 22/23 साहुकारी अधिनियम	फूलपुर	आजमगढ़
2	396/2025	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

2-का0 वीरेन्द्र कुमार यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

3-का0 अरविन्द कुमार तिवारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

07. थाना रौनापार: साइबर फ्राड का 41,000/- रूपया वापस कराया गया

घटना का विवरण-

आवेदक रामनवल सिंह पुत्र स्व0 रामलखन सिंह निवासी रैचन्दपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को दिनांक 12.08.2024 को अज्ञात नम्बर से फोन आया कि आप का लड़का मुम्बई मे दुष्कर्म के केस मे फस गया है अगर आप उसे बचाना चाहते है तो 50000 रुपये भेजो। इस पर आवेदक द्वारा कालर की बातो मे आकर कालर द्वारा दिये गये मो0नं0 पर 48000 रुपये भेज दिया। इसके बाद कालर द्वारा पुनः और अधिक पैसे की मांग करने लगा तो आवेदक को शक हो गया तथा उसने अपने बेटे से बात किया तब जाकर उसे लगा कि वह साईबर फ्राड का शिकार हो गया तो आवेदक द्वारा साईबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर दिनांक 12.08.2024 को शिकायत नं0 33108xxxxx दर्ज कराया गया।

बरामदगी का विवरण:-

आवेदक रामनवल सिंह पुत्र स्व0 रामलखन सिंह निवासी रैचन्दपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा साईबर हेल्पलाईन नम्बर 1930 पर शिकायत संख्या 331082xxxxxx दर्ज कराया गया कि उनके साथ कुल 48,000/- रुपये का साईबर फ्राड हुआ है। उक्त शिकायती प्रार्थना पर थाना रौनापार के साईबर टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के 48000/-रुपये मे से 41000/- रुपये को HDFC व UCO बैंक मे क्रमश 40,495/- व 505 रुपये होल्ड हुए। पैसा होल्ड होने के उपरान्त विधि कार्यवाही करते हुए आवेदक का 41000/- रुपये आवेदक के खाते मे वापस कराया गया।

पुलिस टीम का विवरण:-

1-साईबर टीम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।